


2.6.16 पम्बली राजस्व लोक न्यायालय के पत्र में पेश हुई
प्राथमिक चारा 136 का उपलक्षण किन्तु गण्य
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक अरिबे तहसील
हिण्डोन पेठ इकाई। वर्तमान जमावड़ी के
खता सं० 280 में शिवी, श्री शिवचरण पुत्र नंदकिशोर
जाति मीना सां देह खातेगा, अंकन किन्तु इकाई
जिसे प्रार्थी के प्राथमिक एवं तहसीलगा हिण्डोन की
रिपोर्ट अनुसार सां देह के स्थान पर निवाली सहजपुरा
तहसील मीना अंकन किन्तु जाये। अभिनिर्दिष्ट
शुद्धि का अमल कराया गया जाये।

इसका खाता में सेटिलमेंट के दौरान रकबा
2) बीघा से 0.61 है० बनाने जाने पर जिसे 0.11 है०
रकबा शुद्ध किन्तु जाने के लिए नये एवं पुराने
नक्शा शीट की प्राणित प्रतिमाओं के साथ पुनः
निर्दिष्टानुसार L.R. Act की धारा 136 के तहत प्राथमिक
प्रस्तुत कर न्यायचिन्ता कार्यवाही के लिए प्रथम से
बाद काय करे।

तहसीलगा हिण्डोन उपर्युक्त निर्देशों की
पालना किन्तु जाये। पम्बली के अन्य कोई कार्यवाही
शेष नहीं है। अतः पम्बली फैसल सुमा के
नया ही का की जाकर वाड तकनीक इतिहास
है।


उप जिला कलेक्टर
हिण्डोन सिटी, जिला करौली